



नए क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम

2026 - 27

मार्गदर्शिका



गन्ना अपनाए,
समृद्धि की ओर कदम बढ़ाए

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-241/2026

1685/50010

पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.जे.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक, ईख विकास,
गोपालगंज/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/
गयाजी/दरभंगा/भोजपुर/मुजफ्फरपुर/जमुई/सहरसा/पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत "नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम" के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका के प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-287 स्वी० दिनांक-10.08.2026.

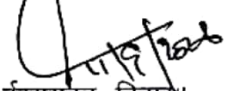
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत "नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम" के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न की जा रही है। विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं अनुवर्ती संलग्न मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

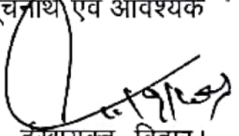
अनुलग्नक:- यथोक्त :

विश्वासभाजन


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-241/2026- 1685/50010 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

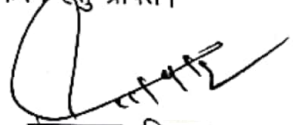
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गयाजी/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-241/2026- 1685/50010 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

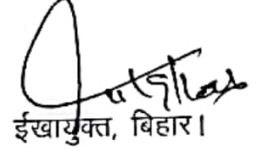
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

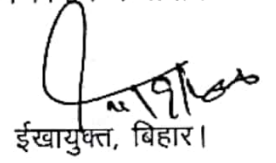
ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-241/2026- 1685/50410 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/निदेशक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-241/2026- 1685/50410 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	पृष्ठभूमि	1
2.	योजना का उद्देश्य	1
3.	योजना के अधीन पात्रता	2
4.	सत्यापित गन्ना बीज की परिभाषा	3
5.	आपूर्तिकर्ता का चयन एवं स्टॉक संधारण	3
6.	ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया	3-4
7.	आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया	4-5
8.	अनुदान/प्रोत्साहन दर	6
9.	समय-सारणी	6
10.	पदेन कर्तव्य एवं दायित्व	6-8
11.	प्रपत्र	9
12.	योजना का स्वीकृत्यादेश	10-15

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम " के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

1. पृष्ठभूमि –

सात निश्चय-3 के अंतर्गत निश्चय-2 "समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार" के तहत वर्तमान में कार्यरत एवं नई चीनी मिलों की स्थापना के दृष्टिगत राज्य में पारंपरिक एवं नये क्षेत्रों में गन्ना का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य में गन्ना क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है। इस क्रम में गन्ना खेती के प्रति इच्छुक नये किसानों एवं गन्ना खेती से विमुख हो चुके किसानों को गुणवत्तायुक्त, स्वस्थ एवं रोगमुक्त गन्ना बीज निःशुल्क उपलब्ध कराकर गन्ना खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित है। इससे गन्ना क्षेत्र में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, फसल विविधीकरण को बढ़ावा तथा चीनी मिलों हेतु भविष्य में पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिहार वित्त संशोधित नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन करते हुए इस योजना का कार्यान्वयन करेंगे।

2. योजना का उद्देश्य-

- 2.1 राज्य में गन्ना की खेती को प्रोत्साहित कर नये तथा पारम्परिक क्षेत्रों का विस्तार करना,
- 2.2 नई चीनी मिलों तथा कार्यरत चीनी मिलों को उनके क्षमता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में गन्ना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसानों को गन्ने की खेती के लिए तैयार करना एवं आगामी वर्षों के लिए तीव्र गति से गन्ने की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करना,
- 2.3 गन्ना खेती के तरफ उत्सुक नये किसानों एवं गन्ना खेती से विमुख होते पुराने किसानों को निःशुल्क गुणवत्तायुक्त गन्ना बीज उपलब्ध कराकर गन्ना खेती के प्रति पुनः आकर्षित करना,
- 2.4 अन्य फसलों की परम्परागत खेती में लगे किसानों को गन्ने की खेती की तरफ आकर्षित करके उनकी आय में वृद्धि करना तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना,



3. योजना के अधीन पात्रता-

3.1 योजना का लाभ रैयत एवं गैर रैयत किसानों को देय होगा।

3.2 चीनी मिल एवं गैर-चीनी मिल क्षेत्र के लिए पात्रता निम्नवत् होगी-

चीनी मिल क्षेत्र -

(क) सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा संबंधित चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र अंतर्गत गन्ना सर्वे के आधार पर 05 एकड़ या उससे कम आच्छादन वाले ग्रामों को " No Cane Village" के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

(ख) सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा चिन्हित " No Cane Village " का Cane Care Portal पर टैगिंग किया जायेगा।

(ग) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा Cane Care Portal पर टैग किए गए ग्रामों के किसान इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।

गैर-चीनी मिल क्षेत्र-

(क) गैर-चीनी मिल क्षेत्र अंतर्गत सभी ईच्छुक किसान आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

3.3 इस योजना का लाभ वैसे किसानों को देय नहीं होगा, जो वर्तमान वर्ष में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के लाभुक होंगे।

3.4 इस योजना का लाभ प्रत्येक किसान को न्यूनतम 0.25 एकड़ से अधिकतम 2.5 एकड़ (01 हेक्टेयर) तक के लिए देय होगा।

3.5 योजनांतर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में पहले से योजना का लाभ प्राप्त कर चुके कृषकों को भी पूर्व में प्राप्त लाभ सहित अधिकतम 5 एकड़ (02 हेक्टेयर) तक के लिए लाभ देय होगा।

3.6 इस योजना का लाभ " पहले आओ पहले पाओ " के आधार पर देय होगा।

3.7 रैयत के लिए भूमि का दस्तावेज के रूप में जमाबंदी/लगान रसीद/भूमि-स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC)/वंशावली (इनमें से कोई एक) आवेदक के पास होना आवश्यक होगा। गैर रैयत के लिए पोर्टल पर उपलब्ध स्व-घोषणा पत्र भरकर अपलोड किया जायेगा।

3.8 विभाग द्वारा योजनांतर्गत प्रोत्साहन/अनुदान के लाभ हेतु कुल 16 गन्ने प्रभेद यथा-CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, Bo-153, Co-15023, CoLK-14201, CoS-13235, CoLK-15466, CoLK-16466 एवं CoLK-16470 अनुशंसित की गई है। यह सूची यथासंशोधित होने पर स्वतः प्रभावी होगा।

3.9 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. सत्यापित गन्ना बीज की परिभाषा –

4.1 सत्यापित गन्ना बीज का आशय ऐसे स्वस्थ एवं रोगमुक्त गन्ना फसल से है, जिसका सत्यापन संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र/क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के वैज्ञानिक तथा सहायक निदेशक, ईख विकास की संयुक्त टीम द्वारा किया गया हो।

5. सत्यापित गन्ना बीज (सेट/सिंगल बड प्लांटलेट्स) आपूर्तिकर्ता का चयन एवं स्टॉक संधारण –

5.1 इस योजना अंतर्गत किसानों को निःशुल्क गन्ना बीज की उपलब्धता हेतु कंडिका-4.1 में उल्लेखित प्रावधान का पालन करते हुए संयुक्त टीम द्वारा बीज आपूर्तिकर्ता का चयन बीज स्टॉक के लिए किया जायेगा।

5.2 यदि संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा अपने क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य जिला/क्षेत्र से सत्यापित गन्ना बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी हो, तो ऐसी स्थिति में बीज उपलब्धता वाले क्षेत्र के संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास भी कंडिका-4.1 में उल्लेखित संयुक्त टीम में सम्मिलित होंगे तथा उनके द्वारा संबंधित क्षेत्र में बीज की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के सत्यापन में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

5.3 इस योजना के तहत गन्ना बीज आपूर्ति करने वाले ईच्छुक कृषक के लिए आवेदन-पत्र प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न है।

5.4 सत्यापित गन्ना बीज (सेट/सिंगल बड प्लांटलेट्स) का स्टॉक संधारण संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा केन केयर पोर्टल पर किया जायेगा।

5.5 बीज आपूर्तिकर्ता का विवरण- नाम, मोबाईल संख्या, बैंक खाता, प्रभेद, फार्म/खेत का पता अंकित किया जायेगा।

5.6 सत्यापित बीज के संधारण हेतु संयुक्त टीम के जांच प्रतिवेदन का निर्गत संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

6. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया –

6.1 इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय केन केयर पोर्टल <https://ccs.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।

6.2 आवेदन करने हेतु केन केयर पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

6.3 किसानों के द्वारा गन्ना आई. डी. का उपयोग कर आवेदन किया जायेगा।

- 6.4 13 अंको का डी.बी.टी. आई.डी. के सहायता से केन केयर पोर्टल पर गन्ना पंजीकरण कर गन्ना आई. डी. प्राप्त किया जा सकता है।
- 6.5 केन केयर पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम टैब पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा।
- 6.6 आवेदन प्रपत्र में गन्ना आई. डी. को अंकित कर SUBMIT बटन पर क्लिक करने पर निबंधित मोबाईल पर प्राप्त OTP दर्ज किया जायेगा, के उपरांत आवेदक को सामान्य विवरण प्रदर्शित हो जाएगा।
- 6.7 इसके बाद खेती का स्थान, रकबा, भूमि का विवरण एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 6.8 SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही आवेदक को आवेदन संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा एवं निबंधित मोबाईल पर SMS भी प्राप्त हो जाएगा।
- 6.9 तत्पश्चात् आवेदन स्वतः संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।

7. आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया—

- 7.1 अग्रसारित आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में सत्यापन हेतु प्रदर्शित होगा।
- 7.2 संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित आवेदनों में अंकित की गई विवरणी की जांच एवं खेत का भौतिक सत्यापन गन्ना सॉफ्ट मोबाईल एप के माध्यम से कराया जायेगा।
- 7.3 खेत के भौतिक सत्यापन के क्रम में उल्लेखित भूमि गन्ना रोपण हेतु तैयार होने की स्थिति में आवेदन स्वीकृत करते हुए बीज (सेट/सिंगल बड प्लांटलेट्स) आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
- 7.4 खेत तैयार पाये जाने की स्थिति में उक्त सत्यापन के आधार पर संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा गन्ना बीज की उपलब्धता 48 से 72 घंटे के अन्दर कराना सुनिश्चित की जायेगी।
- 7.5 बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यथासंभव निकटवर्ती बीज आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा।

- 7.6 बीज आपूर्तिकर्ता का चयन करते ही सप्लाई आर्डर (Supply Order) स्वतः निर्गत हो जायेगा, के आलोक में आपूर्तिकर्ता को उक्त अवधि के भीतर बीज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 7.7 बीज परिवहन की पूर्णतः व्यवस्था संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- 7.8 संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा बीज की आपूर्ति इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि प्रत्येक किसान को सेट अथवा सिंगल बड प्लांटलेट्स में से किसी एक ही प्रकार के बीज की आपूर्ति की जाय।
- 7.9 सप्लाई आर्डर (Supply Order) संबंधित बीज आपूर्तिकर्ता को गन्ना सॉफ्ट मोबाईल एप तथा आवेदक किसान को केन केयर पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से प्रदर्शित होगा। साथ ही इसकी सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगी।
- 7.10 उक्त अवधि के अन्दर आपूर्तिकर्ता से बीज उठाव कर आवेदक किसान के खेत तक पहुँचाने हेतु परिवहन की व्यवस्था संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
- 7.11 संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जितनी मात्रा में गन्ना बीज की मांग/व्यवस्था की जा रही है, उसके अनुरूप उतने ही क्षेत्र में खेत पूर्व से तैयार रहें, ताकि बीज प्राप्त होने के पश्चात् उसका समय पर रोपण हो सके एवं बीज के खराब अथवा अनावश्यक क्षति की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 7.12 विशेष परिस्थिति में 48 से 72 घंटे के भीतर आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में सप्लाई आर्डर (Supply Order) की वैधता को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा विस्तारित/निरस्त किया जा सकेगा।
- 7.13 बीज आपूर्ति के उपरांत बीज की बुआई अधिकतम दो दिनों के भीतर निश्चित रूप से करा लिया जायेगा।
- 7.14 संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा बुआई के उपरांत Ganna Soft Mobile App के द्वारा आवेदक किसान के खेत का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।
- 7.15 Ganna Soft Mobile App पर किये गये सत्यापन के आधार पर बीज की आपूर्ति स्वतः सम्पुष्ट मानी जायेगी, के आलोक में सप्लाई आर्डर (Supply Order) के विरुद्ध अनुमान्य राशि (बीज मूल्य एवं बीज की कटाई तथा लोडिंग/अनलोडिंग का खर्च) के भुगतान हेतु लाभुक आपूर्तिकर्ता की सूची डाउनलोड की जायेगी।

7.16 तदोपरान्त लाभुक बीज आपूर्तिकर्ता एवं परिवहनकर्ता/एजेन्सी को उनके बैंक खाता में CFMS के माध्यम से अनुमान्य राशि का भुगतान ससमय कर दिया जायेगा।

7.17 लाभुक आपूर्तिकर्ता को अनुदान भुगतान करने के उपरांत पोर्टल पर UTR नम्बर अंकित किया जायेगा।

8. बीज आपूर्ति एवं परिवहन हेतु देय प्रोत्साहन राशि –

क्र०सं०	अवयव	अनुमान्य राशि
1	गन्ना बीज (सेट) का मूल्य	470 रु०/क्वींटल
2	सिंगल बड प्लांटलेट्स	03 रु०/प्लान्टलेट्स
3	बीज की कटाई एवं लोडिंग/ अनलोडिंग का खर्च	50 रु० प्रति/क्वींटल
4	आकस्मिकता व्यय/बीज परिवहन	0.80 रु० प्रति क्वी० प्रति कि०मी० की दर से

9. आवेदन प्राप्ति से प्रोत्साहन राशि भुगतान तक की गतिविधि हेतु समय-सारिणी –

क्र० सं०	गतिविधि	शरदकालीन सीजन हेतु अधिकतम समय-सीमा	वसंतकालीन सीजन हेतु अधिकतम समय-सीमा
1	आवेदन प्राप्ति	विभाग द्वारा निर्धारित	विभाग द्वारा निर्धारित
2	बीज आपूर्तिकर्ता का चयन	30 सितम्बर, 2026	
3	सत्यापन/बीज आवंटन/ सप्लाई आदेश निर्गमन	15 नवम्बर, 2026	10 फरवरी, 2027
4	बीज आपूर्ति एवं बुआई	30 नवम्बर, 2026	25 फरवरी, 2027
5	बुआई उपरांत भौतिक सत्यापन	20 दिसम्बर, 2026	10 मार्च, 2027
6	स्वीकृति एवं भुगतान	10 जनवरी, 2027	20 मार्च, 2027

नोट- स्थानीय परिस्थिति के अनुसार समय सारिणी में आवश्यक परिवर्तन ईखायुक्त, बिहार के द्वारा किया जा सकेगा।

10. पदेन कर्तव्य एवं दायित्व-

10.1 ईख प्रसार पदाधिकारी/जनसेवक/कामदार/एम.टी.एस.

- योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार-प्रसार कर इच्छुक कृषकों से ऑनलाईन आवेदन करवाना।
- योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित अवधि में सत्यापन कर अनुशंसा के साथ सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित करना।
- बीज स्रोतों की पहचान कर बीज आपूर्तिकर्ता को चिन्हित करना।
- योजनांतर्गत गन्ना रोप के पूर्व खेत की तैयारी एवं रोप उपरांत लाभुकों के खेत का निरीक्षण करना।



- (v) बीज आपूर्तिकर्ता से बीज उठाव से लेकर आवेदक किसान को आपूर्ति होने तक की सभी गतिविधियों की जानकारी रखना एवं संबंधित को उपलब्ध कराना।
- (vi) सप्लाई आर्डर के अनुरूप बीज उठाव एवं आपूर्ति की पुष्टि करना।
- (vii) बीज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों से संबंधित विवरण का संधारण एवं उनके परिवहन की स्थिति का नियमित अनुश्रवण।

10.2 सहायक निदेशक, ईख विकास

- (i) योजना का अनुदेश के अनुरूप ससमय कार्यान्वयन कराना।
- (ii) योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप ससमय आवेदन प्राप्ति, लाभुक का चयन एवं अनुदान का भुगतान संबंधी कार्य का निष्पादन।
- (iii) बीज स्रोतों की पहचान कर बीज आपूर्तिकर्ता को चिन्हित करना तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बीज का सत्यापन करना।
- (iv) अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को आवेदन के निस्तारण हेतु लक्ष्य आवंटित करना एवं उनके कार्यों तथा लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करना।
- (v) निकटवर्ती चीनी मिल, अनुसंधान संस्थान, बीज उत्पादक से समन्वय कर सत्यापित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्या का ससमय निराकरण करना/कराना।
- (vi) योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार-प्रसार कराना।
- (vii) योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों के ससमय सत्यापन हेतु संबंधित को निदेशित करना।
- (viii) आवेदन की स्वीकृति एवं अनुदान भुगतान संबंधी कार्य का ससमय निष्पादन करना।
- (ix) लाभार्थी कृषक द्वारा लगाए गए गन्ने का समय-समय पर स्थलीय जांच करना एवं फसल के स्थिति सहित जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

10.4 उप निदेशक, ईख विकास

- (i) योजना के प्रगति का पाक्षिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही मुख्यालय को उपलब्ध कराना।
- (ii) योजना के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को आवश्यक दिशा-निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।



- (iii) योजनांतर्गत लगे हुए गन्ना फसलों का स्थलीय जांच समय-समय पर किया जायेगा एवं फसल के स्थिति सहित जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। इस जांच में उप निदेशक, ईख विकास कार्यालय में पदस्थापित सहायक निदेशक, कीटविद् एवं व्याधिविद् तथा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक को भी शामिल किया जायेगा।

10.5 संयुक्त निदेशक, ईख विकास एवं प्रभारी सहायक निदेशक (शष्प)

- (i) मुख्यालय स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु संयुक्त निदेशक, ईख विकास नोडल पदाधिकारी तथा इस योजना के प्रभारी सहायक निदेशक (शष्प) उप नोडल पदाधिकारी होंगे।
- (ii) योजना का समय-समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
- (iii) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
- (iv) केन केयर पोर्टल पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण करना एवं आने वाले समस्याओं का एन.आई.सी. से समन्वय कर ससमय निराकरण कराना।
- (v) योजना के ऑनलाईन दैनिक/साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन को ईखायुक्त, बिहार एवं सचिव, गन्ना उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना।
- (vi) योजना का समय-समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।

10.6 जिला पदाधिकारी

- (i) टास्क फोर्स की बैठक में योजना की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा।
- (ii) योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन करना।

10.7 ईखायुक्त

- (i) मुख्यालय स्तर पर योजना के प्रगति की समीक्षा करना एवं योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- (ii) योजना के कार्यान्वयन हेतु विहित प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में यथासमय निदेश दिया जायेगा।


 ईखायुक्त, बिहार।

प्रपत्र-1

नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत गन्ना बीज आपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक का क्रमांक-..... दिनांक-..... वित्तीय वर्ष-..... (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

सेवा में,

सहायक निदेशक, ईख विकास,

माध्यम- सहायक निदेशक, ईख विकास, (अन्य जिला/क्षेत्र की स्थिति में)

महोदय,

निवेदनपूर्वक सूचित करना है कि मैं पिता/पति
ग्राम-..... पंचायत-..... अंचल-..... जिला-..... का गन्ना
उत्पादक किसान हूँ। मेरे द्वारा वर्तमान गन्ना फसल वर्ष में कुल एकड़ क्षेत्र में गन्ने की
खेती की गई है। मैं इस कार्यक्रम अंतर्गत उक्त गन्ने में से एकड़ क्षेत्रफल में उत्पादित गन्ना को बीज
के रूप में उपलब्ध कराना चाहता हूँ।

मेरे पास उपलब्ध गन्ना बीज का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	विवरण	जानकारी
1	गन्ने खेत का स्थान (खाता, खेसरा संख्या)	
2	गन्ने की किस्म (चयनित सूची के अनुसार)	
3	अनुमानित बीज की उपलब्धता (क्वींटल में)	
4	गन्ने की फसल की स्थिति	
5	गन्ना आई. डी./डी.बी.टी. संख्या	
6	मोबाईल संख्या	

- पहचान हेतु आधार कार्ड/निर्वाचन फोटो कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/राशन कार्ड इत्यादि में से कोई एक की छायाप्रति अनुलग्न कर रहा हूँ।

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे द्वारा बीज हेतु प्रस्तावित गन्ने का स्थल सत्यापन/भौतिक सत्यापन किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। सत्यापन में गन्ना बीज निर्धारित गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पाये जाने की स्थिति में ही इस योजनांतर्गत इसे बीज के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(आवेदक) का नाम, हस्ताक्षर एवं तिथि